न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 282/2012

उनवान

1. शफाकत अली पुत्र रौनक अली जाति मुसलमान
2. शाहिद अली पुत्र शौकत अली,
3. जाहिद अली पुत्र शौकत अली समस्त जाति मुसलमान, मूल नि. झडवासा, नसीराबाद, हाल नि. गणेश जी के मन्दिर वाली गली, कृष्णापुरी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ

—— अपीलांट :– जरियें अधिवक्ता श्री नोरतमल जैन

बनाम

1. प्रेमलता दाधीच पत्नी आर. एस. दाधिच जाति ब्राह्मण नि. प्लाट न0 2 रेल्वे फाटक के पास आदर्श नगर, अजमेर,
2. ग्राम पंचायत झडवासा जरियें सरपंच ग्राम पंचायत झडवासा,
3. रामलाल पुत्र हीरालाल (फौत)

3/1. रामेश्वरी पत्नी रामलाल
3/2. जीवराज पुत्र रामलाल
3/3. जितेन्द्र पुत्र रामलाल जाति नाई नि0 झडवासा, नसीराबाद
3/4. रेखा पुत्री रामलाल पत्नी गोगा जाति सैन नि. गुदलिया, रामपुरा, नसीराबाद
3/5. पिंकी पुत्री रामलाल पत्नी जय सिंह जाति नाई नि0 बरोल, रामसर, नसीराबाद
3/6. साजना पुत्री रामलाल पत्नी नन्दकिशोर जाति सैन नि0 दिलवाडा, नसीराबाद

4. गुलाब पुत्र भूरा,

4/1. बरजी पत्नी गुलाब
4/2. सोहनलाल पुत्र गुलाब
4/3. रमेश पुत्र गुलाब
4/4. लक्ष्मी पुत्री गुलाब
4/5. ममता पुत्री गुलाब

5. रामकिशन पुत्र नन्दा,
6. गोपाल पुत्र नन्दा,
7. मुन्ना पुत्र नन्दा,
8. भगवती पुत्री नन्दा,
9. सम्पत्ति पुत्री नन्दा,
10. शान्ति पुत्री नन्दा,
11. गीता पत्नी कैलाश,
12. सत्यनारायण पुत्र कैलाश,
13. सुमन,
14. मैना पुत्रियॉं कैलाश समस्त जाति नाई नि0 ग्राम झडवासा, नसीराबाद
16. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्ट 1 व 5 से 14 अनुपस्थित
—— 2 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
—— 16 जरियें राज0 पेरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अन्तर्गत धारा 75 राज. भू रा. अधि. 1956 वनाराजगी आदेश ग्राम पंचायत, सरपंच ग्राम पंचायत
...सा, तहसील नसीराबाद नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.12 ग्राम झडवासा तहसील नसीराबाद

–: आदेश :– दिनांक :– 25.5.22

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि अनीलाधीन भूमि हाल खसरा ... 4095 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 अन्तिम चौयाला जमाबंदी में वादीगण के पिता रौनक अली पुत्र अजीज अली जाति मुसलमान के नाम खातेदारी दर्ज थी। किन्तु वर्तमान जमाबंदी में उक्त आराजी को त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 के नाम दर्ज कर दिया जिस पर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में एक वाद 87/2008 शफकत अली व अन्य बनाम रामलाल प्रस्तुत किया व धारा 212 का प्रार्शिना पत्र भी साथ में पेश किया। न्यायालय द्वरा दिनांक 6.1.10 को अपीलाधीन भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति कायम करने हेतु आदेश पारित किया उक्त आदेश की अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा दिनांक 21.7.11 को निरस्त कर दी गयी। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि की रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश यथावत रहा। उक्त आदेश की जानकारी तहसीलदार नसीराबाद व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 को हाने के बावजूद भी उक्त नामान्तकरण गलत तरीके से राजस्व कार्मिको द्वारा स्वीकृत कराया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.4.12 को वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय व डिकी जारी की गयी। उक्त निर्णय के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 ने अपीलाधीन भूमि जरिये अवैधानिक विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2011 को बैचान कर दी जबकि उक्त दिनांक को वाद विचाराधीन था। वाद के तथ्यों को छूपाकर उक्त बैनामा किया गया। तथा अवैधनीक बैनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण भी स्वीकार किया गया। अतः उक्त नामान्तकरण निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 5 से 14 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को र्प्यापत अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। खसरा नम्बर 4045 रकबा 0.28 व 4050 रकबा 0.25 की आराजी अपीलांट के पूर्वजों के नाम चौसाला जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 के नाम दर्ज कर दी पूर्व में आराजी मुतनाजा बाबत राजस्व वाद व धारा 212 अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के मध्य पेश हुआ था। उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा के प्रार्थना पत्र में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2010 को आराजी मुतनाजा के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी। साथ ही उक्त विचाराधीन वाद में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2012 को निर्णय व डिकी पारित कर आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण/अपीलांट को घोषित किया गया। उक्त अस्थायी निषेघाज्ञा के आदेश के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 ने उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैचान कर दी तथा नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 21.02.212 द्वारा उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम ग्राम पंचसात झडवासा द्वारा दर्ज कर दी गयी। ... स्थगन आदेश जारी होने के वावजूद आराजी मुतनाजा का बैचान व नामान्तकरण तस्दीक ... मूल वाद में भी अपीलांट के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ... उक्त आराजी क्रय की गयी। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 को उक्त आराजी का बैचान ... रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 14 व राजस्व कार्मिको द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना ... चाहिये थी। किन्तु उनके द्वारा स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 19:37:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...रित होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर ... पंचायत झडवासा द्वारा विधिक त्रुटी की है। अपीलांट अपनी अपील के तथ्यों को सिद्व करने में सफल ...है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत झडवासा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या ... दिनांक 21.2.212 निरस्त किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीरावाद

...अधिकारी ... ...ीरावाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested